



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

No. BSEH/SEC/2026

"प्रेस-नोट"

Circular No.: 08

Dated : 30.06.2026

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 04.07.2026 (शनिवार) व 05.07.2026 (रविवार) को करवाया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र (admit card) दिनांक 01.07.2026 से बोर्ड की Official Website : www.bseh.org.in पर दिये गये लिंक से पंजीकरण संख्या/आवेदन आई0 डी0 संख्या के साथ जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर/समझकर पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

- अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश-पत्र का Colour Printout लिया जाना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय पंजीकृत करवाए गए फोटोयुक्त पहचान-पत्र जिसका वर्णन अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर भी है, को मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु साथ लेकर जाना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से 02 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे ताकि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।
- अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षा केन्द्र के अन्दर अंगूठी, बालिया, चेन, हार, लटकन, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी गहने किसी भी धातु की वस्तु, कैमरा, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पर्स, लॉग टेबल, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, प्लास्टिक पाउच, कोरा या मुद्रित कागज, लिखित चिट इत्यादि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- महिला अभ्यर्थी को बिंदी, सिंदूर व मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। Baptized, Sikh candidates को धार्मिक प्रतीकों को ले जाने की अनुमति है।
- अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखें कि एक पृष्ठीय प्रवेश-पत्र की Center copy व Candidate copy का एक-एक Colour Printout साथ लेकर जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश-पत्र पर पंजीकरण के समय अपलोड किया गया रंगीन फोटो लगाकर व राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर परीक्षा केन्द्र पर लेकर जाना अनिवार्य है।
- दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दिव्यांग अभ्यर्थी, जो अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं और जो लेखक की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 परीक्षा के प्रत्येक पेपर में 50 मिनट का प्रतिपूरक समय (Compensatory time) दिया जा सकता है। नेत्रहीन उम्मीदवारों सहित सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को जो अपने हाथों से पूर्णरूप से लिखने में समर्थ नहीं हैं और लेखक की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी 50 मिनट का प्रतिपूरक समय (Compensatory time) दिया जा सकता है। लेखक (Scribe) की सुविधा किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो दृष्टिबाधित श्रेणी में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता रखता हो या अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हो, (यदि व्यक्ति ऐसा चाहता हो)। उम्मीदवार को स्वयं के लेखक का चयन करने की अनुमति दी जा सकती है अथवा उनके अनुरोध पर बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे उम्मीदवार परीक्षा से कम से कम चार दिन पहले सुबह 09:00 बजे से सायं 04:30 बजे तक लेखक के लिए बोर्ड कार्यालय के कमरा नं0 28 में सम्पर्क करें। उक्त के अतिरिक्त उनके अनुरोध पर केन्द्र अधीक्षक द्वारा भी लेखक की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे उम्मीदवार परीक्षा से कम से कम दो दिन पहले दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक स्वयं के वांछित मैडिकल प्रलेखों व लेखक (Scribe) की पहचाना/योग्यता से संबंधित प्रलेखों सहित अपने आबंटित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक से सम्पर्क करें। लेखक (Scribe) के लिए शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित SPL-1, SPL-2 & Appendix-G प्रोफॉर्म बोर्ड की Official Website : www.bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं, तो वे बोर्ड कार्यालय दूरभाष नं0 01664-254305 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सचिव



Hansi Road, Bhiwani-127021

www.bseh.org.in

